रजिस्ट्री सं० डीएल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 486] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 1997/भाद्र 5, 1919
No. 486] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 1997/BHADRA 5, 1919

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1997

का. आ. 609 (अ).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खण्ड (3) के साथ पठित इसी अनुच्छेद के खण्ड (1) के उप-खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति आठ मनोनीत सदस्यों की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप हुई रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को राज्य सभा में सहर्ष मनोनीत करते हैं :—

(i) श्री कुलदीप नैय्यर

(ii) श्रीमती शबाना आज़मी

(iii) डॉ. राजा रमन्ना

(iv) श्री मृणाल सेन

(v) चौधरी हरमोहन सिंह यादव

(vi) सुश्री सेल्वी दास

(vii) श्री करतार सिंह दुग्गल

(viii) डॉ. सी. नारायण रेड्डी

[फा. सं. 15/1/97-एम एण्ड जी-I]

वी. के. मल्होत्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 1997

S. O. 609 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (1) of article 80 of the Constitution of India, read with clause (3) of that Article, the President is pleased to nominate to the Council of States the following persons, namely :—

(i) Shri Kuldip Nayyar
(ii) Smt. Shabana Azmi
(iii) Dr. Raja Ramanna
(iv) Shri Mrinal Sen
(v) Ch. Harmohan Singh Yadav
(vi) Ms. Selvi Dass
(vii) Shri Kartar Singh Duggal
(viii) Dr. C. Narayana Reddy

to fill the vacancies caused due to the retirement of eight nominated members.

[F. No. 15/1/97–M & G (i)]
V. K. MALHOTRA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1997

का. आ. 610 (अ).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खण्ड (3) के साथ पठित इसी अनुच्छेद के खण्ड (1) के उप-खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति डॉ. एम. आरम के आकस्मिक निधन से रिक्त राज्य सभा की सीट को भरने के लिए श्रीमती निर्मला देशपाण्डे को सहर्ष मनोनीत करते हैं।

[फा. सं. 15/1/97–एम एण्ड जी–II]

वी. के. मल्होत्रा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 1997

S. O. 610 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (1) of article 80 of the Constitution of India read with clause (3) of that Article, the President is pleased to nominate Smt. Nirmala Deshpande, to the Council of States to fill the seat which has fallen vacant due to the demise of Dr. M. Aram.

[F. No. 15/1/97–M & G (ii)]

V. K. MALHOTRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1997